राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 2 अंक 325

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 3 मई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

प्रियंका बोलीं, जान चली जाए पर भाजपा से समझौता कभी नहीं करेंगे

>> 5

दैनिक जागरण
हिंदी बेस्टसेलर
• कथा • कथेतर
• अनुवाद • कविता

दैनिक जागरण हिंदी बेस्ट सेलर (जनवरी-मार्च 2019)
अनुवाद सूची पेज 10

महासमर 2019

- कांग्रेस और सपा-बसपा में भाजपा का प्रतिद्वंद्वी बताने की होड़ • पेज 4
- 50 किमी लंबे रोड शो से शुरू हुआ सनी देओल का सियासी सफर • पेज 5
- नतीजे आने के बाद ध्वस्त हो जाएगी जातिवाद की राजनीति : नड्डा • पेज 6
- ममता पर बनी फिल्म 'बाघिनी' पर भी चुनाव आयोग ने लगाई रोक • पेज 6

विश्वास News

पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर से की गई है छेड़छाड़ ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 6

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

इशरत मुठभेड़ मामले में वंजारा और अमीन आरोप मुक्त

अहमदाबाद : सीबीआइ की विशेष अदालत ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व आइपीएस अधिकारी डीजी वंजारा और पूर्व एसपी एनके अमीन को आरोप मुक्त कर दिया। दोनों ने गुजरात सरकार द्वारा सीबीआइ को उनके खिलाफ मामला चलाने की अनुमति नहीं देने के बाद अर्जी दाखिल की थी।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 7

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने छह ग्रामीणों को मार डाला

सुकमा : छत्तीसगढ़ में अपने कैडर के बढ़ते आत्मसमर्पण व ग्रामीणों के घटते समर्थन से नक्सली बौखला गए हैं। नक्सली गांव-गांव में जनअदालतें लगाकर ग्रामीणों को बेरहमी से मौत के घाट उतार रहे हैं। बुधवार को सुकमा और बीजापुर जिलों में जंगलों के बीच स्थित गांवों से नक्सलियों द्वारा छह ग्रामीणों की हत्या करने की खबर बाहर आई।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

ब्रिटेन में पहली बार वोटरों ने दागी सांसद को किया बेदखल

लंदन : ब्रिटेन में अपनी तरह के पहले मामले में मतदाताओं ने एक अपराध में सजा पाने वाली सांसद फियोना ओनसान्या को संसद से बेदखल कर दिया। पूर्वी इंग्लैंड के पीटरबरो शहर से जून, 2017 में सांसद चुनी गईं 35 वर्षीय फियोना को तेज गति से कार चलाने के मामले में अदालत ने दोषी ठहराया था। इस मामले में उन्हें जनवरी 2019 में तीन माह जेल की सजा हुई थी। इसी के बाद उन्हें हटाने की मांग ने जोर पकड़ लिया था।

दन बरसे
किंग्स इलेवन पंजाब
vs
कोलकाता नाइटराइडर्स
रात 8:00 बजे से
स्थान : मोहाली
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

12वीं के इम्तिहान में सातवें आसमान पर बेटियां

सीबीएसई परीक्षा में गाजियाबाद की हंसिका और मुजफ्फरनगर की करिश्मा के 500 में से 499 अंक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने गुरुवार को 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। इस बार संयुक्त रूप से दो छात्राओं ने देश भर में टॉप किया है। मेरठ रोड गाजियाबाद स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा हंसिका शुक्ला और मुजफ्फरनगर के एसडी पब्लिक स्कूल की छात्रा करिश्मा अरोड़ा ने 500 में 499 अंक (99.8 फीसद) हासिल किए।

सीबीएसई की अध्यक्ष अनीता करवल ने बताया कि बोर्ड ने परीक्षा खत्म होने के 28 दिनों के अंदर नतीजे घोषित करके एक रिकॉर्ड बनाया है। बोर्ड के इतिहास में पहली बार मई के पहले सप्ताह में 12वीं के नतीजे घोषित किए गए हैं। पहले ये नतीजे मई के दूसरे सप्ताह के बाद घोषित किए जाते थे।

गरिमा, नोएडा 99.4 %

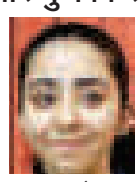

इबादत, नोएडा 99.4 %

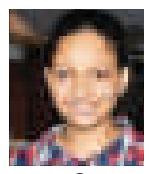

प्रज्ञा, गाजियाबाद 99.4 %

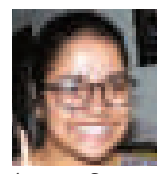

ऐशना, गाजियाबाद 99.4 %

अर्पित, गाजियाबाद 99.4 %

शीर्ष दो स्थानों पर पांचों बेटियां: छात्राओं का रिजल्ट छात्रों की तुलना में 9 फीसद ज्यादा रहा है। दो छात्राएं संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहीं। दूसरे स्थान पर भी संयुक्त रूप से तीन छात्राओं ने बाजी मारी। तीसरे स्थान पर 18 विद्यार्थी हैं, जिनमें 12 छात्राएं हैं। टॉप-3 में आने वाले 23 विद्यार्थियों में छह छात्र हैं। इस वर्ष 88.70 फीसद छात्राएं और 79.40 फीसद छात्र पास हुए हैं।

इस वर्ष पास फीसद ज्यादा: इस वर्ष पास फीसद 83.40 रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.39 फीसद ज्यादा है। इस वर्ष 12 लाख 18 हजार 393 विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे। इनमें 12 लाख 5 हजार 484 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 10 लाख 5 हजार 427 पास हुए। पिछले वर्ष 11 लाख 6 हजार 772 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और 9 लाख 18 हजार 763 पास हुए थे।

देश भर में संयुक्त टॉपर छात्राओं का रिपोर्ट कार्ड

हंसिका शुक्ला (499/500)

विषय	नंबर
इतिहास	100
राजनीति शास्त्र	100
मनोविज्ञान	100
हिंदुस्तानी वोकल	100
अंग्रेजी	99

करिश्मा अरोड़ा (499/500)

विषय	नंबर
अंग्रेजी	100
होम सांइस	100
पेंटिंग	100
मनोविज्ञान	100
अर्थशास्त्र	99

बोर्ड से ले सकते हैं सलाह

छात्रों को सलाह देने के लिए बोर्ड 16 मई तक काउंसिलिंग की व्यवस्था भी करेगा। अभिभावक व छात्र टोल फ्री नंबर 1800118004 पर फोन कर सलाह ले सकते हैं।

28 दिनों में नतीजे घोषित कर सीबीएसई ने बनाया रिकॉर्ड

अंक सत्यापन व मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण तारीखें

- जिन छात्रों को अपने अंकों का सत्यापन कराना है, वे बोर्ड की वेबसाइट पर 4 मई से 8 मई के बीच शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रति विषय 500 रुपये देने होंगे।
- उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी लेने के लिए 20 मई से 21 मई के बीच ऑनलाइन आवेदन शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। प्रति उत्तर पुस्तिका के लिए 700 रुपये देने होंगे।
- दोबारा मूल्यांकन के लिए 24 मई से 25 मई के दौरान शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रति प्रश्न के लिए 100 रुपये देने होंगे।

नतीजों के लिहाज से दिल्ली परिक्षेत्र नंबर तीन पर काबिज पेज>>2

मसूद अजहर को लेकर पाक की घेरेबंदी तेज

भारत-अमेरिका बोले ▸ इमरान सरकार के कदमों पर होगी दुनिया की नजर

पाकिस्तान को दिए संकेत, असफल रहा तो भुगतने होंगे एफएटीएफ प्रतिबंध

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की तरफ से जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर अल्वी को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करना पाकिस्तान पर दबाव बनाने की शुरुआत भर है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति के फैसले के एक दिन बाद अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान के सामने स्पष्ट कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय आगे यह भी देखेगा कि इमरान खान सरकार इस फैसले को लागू करने में कितनी तेजी दिखाती है। भारत ने सांकेतिक भाषा में यह भी कहा, अगर पाकिस्तान इसमें असफल रहा तो इसका खामियाजा उसे फाइनेंशिएल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के प्रतिबंध के तौर पर भुगतना पड़ सकता है।

भारत ने अजहर के मामले में पाक के समक्ष अपनी उम्मीदों की सूची रख दी है और कहा है कि उसकी तरफ से आगे जो भी कार्रवाई होगी उस पर उसकी नजर होगी। संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति (1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति) भी इमरान सरकार की तरफ से यूएन प्रस्ताव के मुताबिक उठाए जाने वाले कदमों पर नजर रखेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक, यूएन के फैसले के बाद हमारी पाकिस्तान या संयुक्त राष्ट्र के दूसरे देशों की सरकारों से मोटे तौर पर तीन उम्मीदें हैं। पहला, मसूद अजहर से जुड़े हर फंड और उसकी वित्तीय परिसंपत्तियां जब्त की जाएं। दूसरा अजहर के आने जाने पर पाबंदी लगे । तीसरा, उसे और उससे जुड़े किसी भी संगठन को हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगे। पाकिस्तान उक्त सारे कदम उठाने के लिए बाध्य है क्योंकि इनकी मांग यूएन की विशेष समिति ने की है।

रवीश ने कहा, अगर पाक ऐसा नहीं करता है तो उसे एफएटीएफ का कोपभाजन बनना पड़ सकता है। एफएटीएफ अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जो उन देशों पर प्रतिबंध लगाती है जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद रोकने के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाते हैं। एफएटीएफ ने फरवरी, 2019 में पाक को निगरानी सूची में रखने का फैसला किया था। इसके तहत पाकिस्तान को यूएन की 1267 और 1373 सूची के तहत घोषित आतंकियों या उनकी तरफ से आतंक फैलाने वाले दूसरे लोगों के खिलाफ तमाम कदम उठाने होंगे। इसके तहत इन लोगों के वित्तीय लेन-देन और फंड के आदान-प्रदान पर रोक लगानी होगी। इसके लिए पाक के पास बहुत कम समय है क्योंकि एफएटीएफ की अगली बैठक जून, 2019 में ही संभावित है। वहीं, अमेरिका ने भी इमरान खान को उनके उस बयान की याद दिलाई है जिसमें उन्होंने कहा था, 'अपने बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है कि हम आतंकवाद का खात्मा करें।' संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन के प्रवक्ता के मुताबिक, हमें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की उम्मीदों के मुताबिक पाक सरकार आंतकियों पर कार्रवाई जारी रखेगी।

सनद रहे कि संयुक्त राष्ट्र की उक्त विशेष समिति ने बुधवार को मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय घोषित किया है। इसके लिए भारत सरकार वर्ष 2009 से कोशिश कर रही थी।

भारत की तीन मांगें

- जैश के सरगना मसूद अजहर से जुड़े हर फंड व वित्तीय संपत्तियों की जब्ती हो
- अंतरराष्ट्रीय आतंकी पर कहीं भी यात्रा करने पर पूरी तरह से पाबंदी हो
- अजहर व उससे जुड़े किसी भी संगठन को हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगे

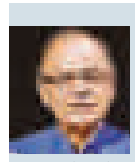

संयुक्त राष्ट्र में लिस्टिंग का जो प्रस्ताव होता है वह किसी आतंकी का बायोडाटा नहीं होता कि उसमें हर चीज का उल्लेख हो। जिस तरह अंतरराष्ट्रीय दबाव बना, चीन ने अपना रुख बदला, बड़े देशों ने अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का मन बनाया उसमें पुलवामा का भी हाथ था और सरकार का भी जिसने पुख्ता सुबूत पेश किए। **– अरुण जेटली, वित्त मंत्री**

पुलवामा हमले की वजह से लगा अजहर पर प्रतिबंध : भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पाकिस्तान इस बात से खुश है कि जैश-ए-मुहम्मद मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र में जिस प्रस्ताव के तहत प्रतिबंध लगाया गया है उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं है, लेकिन भारत इस बात को खास तवज्जो नहीं दे रहा है। भारत का कहना है कि उसकी मंशा मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाने की थी और उसमें उसे सफलता मिली है। जहां तक इसमें कश्मीर का जिक्र नहीं होने का सवाल है तो अजहर पर प्रतिबंध लगाने में पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले का अहम योगदान रहा है। पाकिस्तान इसे अपनी जीत इसलिए बताने में जुटा है क्योंकि घरेलू स्तर पर इस बड़ी कूटनीतिक हार की गलत तस्वीर पेश की जा सके।

सनद रहे कि बुधवार को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की 1267 समिति की तरफ से पारित प्रस्ताव में कश्मीर या पुलवामा का जिक्र नहीं है। माना जा रहा है कि यह चीन और अमेरिका ने बीच की राह निकालने के लिए ऐसा किया है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में भी इस बात का संकेत दिया गया है कि संशोधित प्रस्ताव का गहन अध्ययन करने के बाद वह वीटो हटाने को तैयार हुआ, जबकि पाकिस्तान ने इस बात पर खुशी जताई है कि प्रस्ताव में कोई राजनीतिक जिक्र नहीं है। भारत का तर्क है कि अजहर पर प्रतिबंध किसी एक घटना के संदर्भ में नहीं लगा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, 'अजहर जितनी भी आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है उसे देखते हुए यह प्रतिबंध लगा है।' एक तरह से देखा जाए तो सभी पक्ष इसे अपनी जीत बता रहे हैं। यहां तक कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोंपियो ने भी इसे अमेरिकी कूटनीति की जीत बताया है जो दक्षिण एशिया में शांति बहाली के लिए काम करेगा।

दिल्ली में वैश्विक आतंकी हाफिज सईद से जुड़ी संपत्तियां जब्त पेज>>3

खराब हिप इंप्लांट के शिकार चार मरीजों को 25-25 लाख दे जॉनसन एंड जॉनसन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुराष्ट्रीय कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को त्रुटिपूर्ण कूल्हा प्रत्यारोपण (हिप इंप्लांट) के पीड़ित चार मरीजों को 25-25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा उन्हें उनके दस्तावेज के सत्यापन के बाद दिया जाएगा। न्यायमूर्ति विभु बाखरू की खंडपीठ ने यह निर्देश तब दिया जब कंपनी ने खुद कहा कि वह मुआवजे के रूप में मरीजों को 25 लाख रुपये देना चाहती है। याचिका पर अगली सुनवाई 29 मई को होगी।

अपनी याचिका में कंपनी ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की उस प्रेस विज्ञप्ति को चुनौती दी थी जिसमें खराब हिप इंप्लांट के सभी पीड़ितों को सरकार की विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद देशभर में ऐसे करीब 14,000 पीड़ितों में नई आस जगी है। हालांकि कंपनी का पक्ष रख रहे संदीप सेठी ने कोर्ट को बताया कि सत्यापन प्रक्रिया के बाद उसने करीब 250 पीड़ितों की पहचान की है, जिन्हें मुआवजे के योग्य पाया गया है। कंपनी के मुताबिक जिन्हें खराब हिप इंप्लांट की वजह से दोबारा सर्जरी करानी पड़ी, सिर्फ उन्हें मुआवजे के योग्य माना जाएगा। इससे पहले कंपनी का तर्क यह था कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत सरकार को मुआवजे के निर्धारण और भुगतान के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं है।

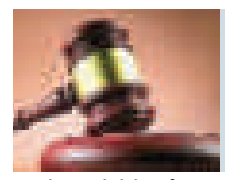

कंपनी की चुनौती याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश

क्या है मामला : बहुराष्ट्रीय कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर आरोप है कि उसकी एक सहायक कंपनी द्वारा निर्मित त्रुटिपूर्ण कूल्हे की वजह से हजारों पीड़ितों की जिंदगी पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ा। अमेरिका में एक के बाद एक मामले सामने आने के बाद वर्ष 2013 में कंपनी 8,000 पीड़ितों को 2.5 अरब डॉलर (करीब 17,500 करोड़ रुपये) का मुआवजा देने को तैयार हो गई। उसके बाद दुनियाभर में कंपनी के खिलाफ ऐसे पीड़ित सामने आने और आवाज उठाने लगे। भारत में पिछले वर्ष अप्रैल में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने चार मरीजों को 65 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक मुआवजा देने का आदेश दिया था।

गठित हुई थी कमेटी : केंद्र ने डॉ. अरुण अग्रवाल तथा डॉ. आरके आर्य की अगुआई में इस मामले की पड़ताल के लिए दो विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी, जिसने मुआवजे की राशि तय की थी। यह धनराशि दिव्यांगता के प्रतिशत, आयु, जोखिम के आधार पर तय की गई थी।

जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लांड्रिंग में पहली बार चार्जशीट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धार्मिक कट्टरता फैलाने के आरोपित विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। ईडी अब तक देश-विदेश में जाकिर की 193 करोड़ रुपये से ज्यादा की ऐसी संपत्तियों का पता लगा चुका है, जिन्हें अवैध तरीके से की गई कमाई से बनाया गया है। इनमें से 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मनी लांड्रिंग के आरोप में जाकिर नाइक के खिलाफ पहली बार मुंबई की विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। इसमें सुबूतों के साथ बताया गया है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने की आड़ में जाकिर किस तरह करोड़ों रुपये की मनी लांड्रिंग कर रहा था। इसके लिए उसने भारत, दुबई और ब्रिटेन समेत कई देशों में दर्जनों कंपनियां बना रखी थीं, जिसमें उसके करीबी और रिश्तेदार निदेशक थे। इन कंपनियों के जरिये करोड़ों रुपये जाकिर के पास पहुंचते थे और उनसे वह परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां खरीदता था। यहां तक कि दुबई में उसने महंगे बंगले तैयार कर बेचने के धंधे में भी काफी धन लगाया था। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल उसकी भारत स्थित संपत्तियों को जब्त किया गया है। विदेश स्थित संपत्तियों की जांच की जा रही है और उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

193 करोड़ की संपत्तियों का पता चला, 50 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है जब्त

ईडी के अनुसार, जाकिर के अधिकांश विवादित भाषण 2007 से 2011 के बीच के हैं। इस दौरान उसने अपनी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आइआरएफ) द्वारा समय-समय पर आयोजित किए गए 10 दिवसीय पीस कांफ्रेंस में भाषण दिए थे। कांफ्रेंस में अन्य धर्मों के लोगों को खुलेआम इस्लाम में धर्मांतरित किया जाता था। भाषणों को रिकॉर्ड कर एडिट करने के लिए उसने हारमनी मीडिया नामक कंपनी बना रखी थी, जो भाषणों को दुबई स्थित दूसरी कंपनी ग्लोबल ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन को बेचती थी। ईडी की जांच से पता चला कि आइआरएफ को 2003-04 से 2016-17 के बीच दुबई से 64.86 करोड़ रुपये मिले थे, जिनके स्रोत संदिग्ध हैं। साथ ही पीस कांफ्रेंस के दौरान मिले दान से चेन्नई में 6.2 करोड़ की स्कूल बिल्डिंग खरीदने, 9.41 करोड़ म्यूचुअल फंड में निवेश के सबूत मिले हैं। ईडी इन्हें जब्त कर चुका है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी पहले ही गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत जाकिर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह फिलहाल मलेशिया में छुपा हुआ है।

आम्रपाली से हो सकती है 9.5 हजार करोड़ रुपये की वसूली

नई दिल्ली, प्रेट्र : अपने घर के कब्जे के लिए तरस रहे होम बायर्स की 3523 करोड़ की रकम को अन्य मदों में लगा चुके आम्रपाली समूह से 9,590 करोड़ रुपये की वसूली की जा सकती है। यह जानकारी गुरुवार को फोरेंसिक ऑडिटरों ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। इस रियल एस्टेट कंपनी के निदेशकों, मैनेजरों और परिजनों समेत कई लोगों से 455 करोड़ रुपये वसूले जा सकते हैं।

जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित को कोर्ट की ओर से नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटरों पवन अग्रवाल और रवि भाटिया ने बताया कि बिल्डर ने औने-पौने दाम पर 5,856 फ्लैट बेच दिए। इन्हें मौजूदा बाजार दर पर बेचने से 321.31 करोड़ रुपये हासिल किए जा सकते हैं। आम्रपाली के 14 प्रोजेक्ट में बुक कराए गए उन फ्लैटों के खरीददारों से भी वसूली की जा सकती है जिन्हें कब्जा मिल चुका है। इस मद में 3,487 करोड़ रुपये वसूले जा सकते हैं। आम्रपाली के 11 अलग प्रोजेक्ट के 5,229 फ्लैट अब तक नहीं बिक सके हैं। इन्हें बेचकर भी 1958.82 करोड़ की वसूली हो सकती है। उन्होंने बताया, कंपनी ने बोगस खरीद से 1446.68 करोड़ का चूना लगाया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 6,004.6 करोड़ रुपये भी आम्रपाली पर बकाया हैं।

बिल्डर के वकीलों को फ्लैट और पेंट हाउस दिए गए : आम्रपाली समूह ने उसका केस लड़ रहे वकीलों को फीस के तौर पर फ्लैट और पेंटहाउस दिए हैं। आम्रपाली के वकीलों का फीस के रूप में मुवक्किल से फ्लैट स्वीकार करना भी कानून का उल्लंघन है।

बड़ा कदम

श्रीलंका में आतंकी हमले के बाद बुर्के पर छिड़ी बहस के बीच केरल के एक शिक्षण संस्थान ने अहम पहल की है, उसने अपने 150 से ज्यादा परिसरों में महिलाओं के चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी है

केरल के मुस्लिम संस्थान ने बुर्के पर लगाई पाबंदी

तिरुवनंतपुरम, प्रेट्र/आइएएनएस : राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर देश में बुर्के पर पाबंदी लगाने की बहस के बीच केरल में एक मुस्लिम शिक्षण संस्थान ने अपने छात्र-छात्राओं को चेहरा ढकने से रोक दिया है। दरअसल, केरल की मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी (एमईएस) ने अपने सभी शिक्षण संस्थानों में बुर्के, नकाब समेत चेहरे को ढकने वाले सभी पहनावों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एमईएस का मुख्यालय कोझिकोड में है और पूरे राज्य में इसके 150 से अधिक शिक्षण संस्थान हैं।

एमईएस अध्यक्ष पीके फजल गफूर ने गुरुवार को बताया कि वर्ष 2019-20 के आगामी शैक्षणिक सत्र से इस प्रतिबंध को उनके शिक्षण संस्थान के सभी परिसरों में लागू कर दिया जाएगा। अब से कोई भी चेहरे को ढक कर क्लास में नहीं आ सकेगा। चिकित्सा के पेशे से जुड़े गफूर ने विगत 17 अप्रैल को जारी किए गए सर्कुलर का उल्लेख करते हुए बताया कि बुर्के या उसके जैसे अन्य परिधानों से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध छात्र-छात्राओं और शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए सभी संस्थानों पर पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में इस सर्कुलर को लेकर कोई विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ड्रेस कोड में शिष्ट कपड़े पहनने और चेहरे को नहीं ढकने की बात कही गई है। इस प्रगतिशील संस्थान के मुताबिक अब से उनके यहां ऐसे किसी भी परिधान को मंजूर नहीं किया जाएगा जो सभ्य समाज को मंजूर नहीं है। आधुनिकता या धार्मिक रीति-रिवाज के नाम पर भी असभ्य कपड़े स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एमईएस के सभी सचिवों और प्रिंसिपलों को संबोधित इस सर्कुलर में कहा गया कि धार्मिक कट्टरता के नाम पर कोई भी ड्रेसकोड थोपा नहीं जाएगा। गफूर ने मीडिया से कहा कि 1964 में स्थापित एमईएस के 150 से अधिक शिक्षण संस्थान हैं। इनमें 50 स्कूल, कई परास्नातक कॉलेज, महिलाओं के कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और डेंटल कॉलेज जैसे व्यावसायिक कॉलेज भी हैं। वहीं, प्रसिद्ध मुस्लिम संगठन समंत केरल जमायतुल्ला उलमा के अध्यक्ष सैयद मुहम्मद जाफरी ने एमईएस के इस कदम को गलत ठहराते हुए कहा कि धार्मिक मुद्दों पर वह फैसला नहीं ले सकता है।

शिवसेना और हिंदू सेना भी बुर्का हटाने की कर चुके हैं मांग : विगत बुधवार को शिवसेना ने सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। अपने मुखपत्र 'सामना' और 'दोपहर का सामना' में शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया, 'रावण की लंका में पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है, राम की अयोध्या में इसे कब लागू किया जाएगा।' इससे पहले मंगलवार को हिंदू सेना ने श्रीलंका की तर्ज पर आतंकी हमलों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सार्वजनिक स्थानों के साथ ही सरकारी और निजी संस्थानों में बुर्का और नकाब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

ओडिशा के समुद्री तट से आज टकराएगा फेनी

नई दिल्ली, प्रेट्र : बंगाल की खाड़ी में उठा भीषण चक्रवाती तूफान फेनी शुक्रवार सुबह आठ से 10 बजे के बीच ओडिशा के पुरी, गोपालपुर व चंदबली के तट से टकराएगा। तट से टकराते वक्त हवा की रफ्तार 170 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। पिछले 43 वर्षों में अप्रैल माह में भारत के पड़ोसी समुद्री क्षेत्र में उठा इतनी तीव्रता का यह पहला तूफान है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हालात से निपटने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। ओडिशा के 13 जिलों में 10 हजार से ज्यादा गांवों और 52 कस्बों पर तूफान कहर बरपा सकता है। इससे 11.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। इसलिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। तीनों सेनाओं व अन्य एजेंसियों को पहले ही अलर्ट किया जा चुका है। (पेज-10 देखें)

पंजाब में दो वर्षों तक डीएसपी बन कर नौकरी करता रहा जालसाज

जागरण संवाददाता, रूपनगर

आपने ऐसा मामला शायद ही कहीं देखा या सुना हो। पंजाब में एक जालसाज ने डीएसपी की वर्दी पहनकर करीब दो वर्षों तक पुलिस विभाग में नौकरी कर डाली। असली गनर के साथ थानों में बेरोकटोक घूमने वाले इस जालसाज ने महिला सब इंस्पेक्टर को जाल में फंसा कर शादी भी कर ली। हैरत की बात है कि किसी भी अधिकारी ने उसके बारे में जांच तक नहीं की। रूपनगर पुलिस ने मामला सामने आने पर केस दर्ज कर फर्जी डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक,खुद को विक्रमजीत सिंह मान बताने वाले जालसाज का असली नाम मोहित अरोड़ा है और वह अमृतसर का निवासी है।

एसएसपी स्वपन शर्मा के मुताबिक, नकली डीएसपी ने एक महिला सब इंस्पेक्टर के समक्ष खुद को डीएसपी (प्रोवीजन) बताते हुए शादी का प्रस्ताव रखा और जुलाई 2018 में विवाह कर लिया। तीन माह बाद उसने पत्नी को बताया कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। अफसरों से गुजारिश करने के लिए कहने पर वह बहाने करने लगा, जिससे पत्नी को शक हुआ। शर्मा ने कहा, जांच में पता चला है कि मोहित ने बीए फर्स्ट ईयर तक पढ़ा है। उसने किसी व्यक्ति से विदेश भेजने का झांसा देकर 12 लाख रुपये लिए थे। इन पैसों से वह खुद को हाईप्रोफाइल बताकर सभी की आंखों में धूल झोंकता रहा।

मोहित अरोड़ा

इसी दौरान महिला सब इंस्पेक्टर को फंसा कर शादी भी कर ली

जालंधर में तैनात डीएसपी से मिली थी शह : मोहित को जालंधर में तैनात एक डीएसपी की शह प्राप्त थी, जिससे वह एक दोस्त के माध्यम से मिला था। इस मामले में डीएसपी की भागीदारी की भी जांच हो रही है। एसएसपी स्वपन शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उसके बाद रिपोर्ट डीजीपी को भेजी जाएगी।